भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 271
मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

कृषि विपणन सहकारी समितियां

271. **श्री आदित्य यादवः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के बदायूँ जिले में कृषि विपणन सहकारी समितियों और क्रेडिट समितियों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ और उसकी संचालन की स्थिति क्या है तथा सदस्यों की संख्या, संवितरित ऋण की राशि और वसूली दर कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा उक्त जिले में डिजिटलीकरण, शासन मानकों में सुधार, क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों और सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं; और
(ग) सरकार द्वारा ऋण प्रसंस्करण संबंधी विलंब का समाधान करने, पारदर्शिता में सुधार करने, आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने और ग्रामीण उत्पादकों तथा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी संघों को मजबूत करने हेतु क्या रणनीति बनाई गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कुल 524 सहकारी समितियाँ हैं जिसमें 1,95,765 सदस्य हैं । उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की सहकारी समितियों की सेक्टर-वार संख्या और सदस्यों की संख्या **संलग्नक-1** में संलग्न है ।

दिनांक 25.11.2025 की स्थिति के अनुसार एनसीडीसी ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए संचयी रूप से 4,67,455.66 करोड़ रुपये का संवितरण किया है । इसमें से ₹7,646.11 करोड़ का संवितरण उत्तर प्रदेश में सहकारी विकास के लिए किया गया है जिसमें बदायूं जिले में 5.30 करोड़ रुपये (एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (ICDP)) शामिल है । 5.30 करोड़ रुपये के कुल संवितरण में से 22.60 लाख रुपये का उपयोग जिले में सहकारी समितियों की क्षमता निर्माण के लिए किया गया । एनसीडीसी द्वार बदायूं जिले में किए गए संवितरण का ब्योरा **संलग्नक-2** पर प्रस्तुत है ।

अन्य स्रोतों से ऋण संवितरण और समितियों की वसूली दरों से संबंधित आँकड़े मंत्रालय द्वारा संधारित नहीं किये जाते हैं ।

(ख) सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन, शासन मानकों में सुधार, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि के लिए विभिन्न पहलें की हैं जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले सहित सभी राज्यों और जिलों में लागू हैं । इन महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. मानकीकृत सॉफ्टवेयर, डिजिटल लेखांकन, ऑनलाइन सेवा प्रदाय और बेहतर पारदर्शिता लाने हेतु पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना जो उत्तर प्रदेश के पैक्स सहित राष्ट्रव्यापी 63,000 से भी अधिक पैक्स को कवर करता है ।
ii. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां जो उन्हें अपने कार्यकलापों का विविधीकरण करने में सक्षम बनाती है और बेहतर शासन मानकों और सदस्य-केंद्रित प्रचालन सुनिश्चित करती है ।
iii. ARDB कंप्यूटरीकरण परियोजना जिसमें राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण करके उन्हें राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के साथ लिंक किया जा रहा है ।
iv. नाबार्ड के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन जो ईआरपी सॉफ्टवेयर, अर्थात् e-PACS सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करता है ।
v. दुर्बल वर्गों के लिए 12% की उप-सीमा के अधीन महिला उधारकर्ताओं हेतु 2 लाख रुपये के लक्ष्य का हटाया जाना PSL अनुपालन को सरल बनाता है और शहरी सहकारी बैंकों को PSL दायित्वों को पूरा करने में अधिक प्रचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है ।

इसके अलावा, एनसीडीसी उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर की महिला सहकारी समितियों को नए और नवोन्मेषी कार्यकलापों के लिए सावधि ऋण के हिस्से पर अपने ब्याज दर पर 2% का ब्याज अनुदान तथा नए और नवोन्मेषी कार्यकलापों को छोड़कर अन्य सभी कार्यकलापों के लिए सावधि ऋण के हिस्से पर (समयबद्ध चुकौती की दशा में) 1% का ब्याज अनुदान देता है ।

(ग) सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना के अधीन ऋण प्रोसेसिंग विलंबों और पारदर्शिता में सुधार के लिए पहलें की हैं जिनमें सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर आधारित ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक किया गया है । यह कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर देश भर में इस परियोजना के पैक्स को प्रदान किया गया है जिससे वे पैक्स के क्रेडिट और गैर-क्रेडिट, दोनों प्रकार के सभी कार्यों के डेटा कैप्चर कर सकें । यह ईआरपी आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एक कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से पैक्स प्रचालन की कार्यकुशलता में वृद्धि लाता है । इसके अतिरिक्त, यह शासन और पारदर्शिता को सशक्त करता है जिससे ऋण संवितरण में तेजी आती है, लेनदेन लागत घटती है, भुगतान असंतुलन कम होता है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है ।

******

संलग्नक-1

बदायूं जिले में सहकारी समितियों और उनके सदस्यों का क्षेत्र-वार ब्योरा

क्रम सं.	सेक्टर	समितियों की सं.	सदस्यों की सं.
1	**कृषि और संबद्ध सहकारी समितियां**	**12**	**26714**
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	87	107
3	**क्रेडिट और थ्रिफ्ट समिति**	**1**	**149**
4	डेयरी सहकारी समिति	269	6271
5	मात्स्यिकी सहकारी समिति	9	264
6	आवासन सहकारी समिति	1	28
7	जूट एवं कोएर सहकारी समिति	0	0
8	विपणन सहकारी समिति	4	1174
9	**प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS/FSS/LAMPS)**	**139**	**152936**
10	चीनी मिल सहकारी समिति	1	5740
11	**शहरी सहकारी बैंक (UCB)**	**1**	**2382**
	कुल	**524**	**195765**

स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD पोर्टल

संलग्नक-2

एनसीडीसी द्वारा बदायूं जिले में किए गए संवितरण का ब्योरा

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>कार्यकलाप</th><th>ब्योरा</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>ICDP</td><td>

दिनांक 24.01.2006 को ICDP स्वीकृत
स्वीकृत धनराशि: 787.86 लाख रुपये

निगम द्वारा आरंभ से लेकर दिनांक 31.12.2012 तक संवितरित धनराशि का ब्योरा निम्नानुसार है: -
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>कार्यकलाप</th><th>जारी धनराशि (लाख रुपये)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सिविल कार्य, संयंत्र और मशीन एवं उपस्करों और फर्निचर के प्रयोजन के लिए ऋण तथा मार्जिन धनराशि एवं शेयर पूंजी के प्रयोजनों के लिए</td><td>448.26</td></tr>
<tr><td>2</td><td>UD योजना के अधीन सब्सिडी</td><td>63.74</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रशासन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी और PIT योजना के अधीन सब्सिडी</td><td>17.85</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>529.85</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

स्रोत: एनसीडीसी